

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांक एफ.3(50)नवि/3/2012

जयपुर, दिनांक: **8 MAR 2013**


आदेश

मंत्रीमण्डल सचिवालय की आज्ञा क्रमांक प.5(1) मंमं/2009 दिनांक 26.04.11 द्वारा गठित एवं आदेश दिनांक 23.12.2011 से पुर्नगठित एवं आदेश दिनांक 01.11.2012 से "प्रशासन शहरों के संग अभियान-2012" से सम्बन्धित बिन्दुओं पर निर्णय लिये जाने हेतु अधिकृत मंत्रीमण्डल एम्पावर्ड समिति की छठी बैठक दिनांक 03.12.2012 को आयोजित बैठक के अनुसरण में जारी समसंख्यक आदेश दिनांक 24.01.2013 के अनुसार "प्रशासन शहरों के संग अभियान-2012" की अवधि में सिवायचक भूमियों पर अतिक्रमण कर वर्ष 01.01.1991 से पूर्व निवास कर रहे व्यक्तियों/परिवारों को आवासीय/व्यावसायिक निर्मित क्षेत्रफल के नियमन हेतु दिनांक 31.03.2013 तक आवेदन किये जाने की स्थिति में जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, उदयपुर, बीकानेर, अलवर, भरतपुर, भीलवाडा एवं भिवाडी के नगरीय क्षेत्रों में 200/- रुपये प्रति वर्गगज की दर से, उक्त वर्णित शहरों के अतिरिक्त सभी नगर परिषद क्षेत्रों में 150/- रुपये प्रति वर्गगज तथा सभी नगर पालिका मण्डल क्षेत्रों में 100/- रुपये प्रति वर्गगज की दर से नियमन करने के आदेश प्रसारित किये गये थे।

कुछ नगर निकायों द्वारा यह मार्ग-दर्शन चाहा गया है कि आदेश दिनांक 24.01.2013 में वर्णित सिवाय चक/राजकीय भूमि के अन्तर्गत क्या अवाप्तशुदा भूमि तथा अन्य राजकीय भूमि को भी शामिल माना जायेगा अथवा नहीं। इस विषय में प्रकरण विभाग के लिए गठित मंत्रीमण्डलीय एम्पावर्ड समिति की सप्तम् बैठक में दिनांक 12.02.2013 को विचारार्थ/निर्णयार्थ रखा गया था जिस पर मंत्रीमण्डलीय एम्पावर्ड समिति ने निर्णय दिया है कि पूर्वोक्त आदेश दिनांक 24.01.2013 में सिवायचक भूमि में अवाप्तशुदा भूमि तथा अन्य राजकीय भूमि को भी शामिल माना जावे।

अतः उपरोक्तानुसार कार्यवाही की जावेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,


(गुरदयाल सिंह संधु)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

8 MAR 2013

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, नगरीय विकास विभाग राज. जयपुर।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, राजस्थान सरकार जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
6. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
7. समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान।
8. आयुक्त/सचिव, जयपुर/जोधपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर।
9. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर को उपरोक्त आदेश संबंधित स्थानीय निकायों को प्रेषित किए जाने एवं विभागीय वेबसाईट पर भी प्रदर्शित किए जाने हेतु।
10. मुख्य नगर नियोजक, निदेशालय नगर नियोजन, राजस्थान, जयपुर।
11. समस्त सचिव, नगर सुधार न्यास, राजस्थान।
12. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम/समस्त आयुक्त, नगर परिषद/समस्त अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका राजस्थान।
13. रक्षित पत्रावली।

(आर.के.पारीक)

संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय